रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 1971/अग्रहायण 3, 1893
No. 201] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 1971/AGRAHAYANA, 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th November 1971

SUBJECT:—*Validity period of import licences issued under I.D.A. Credit.*

No. 164-ITC(PN)/71.—Attention of importers is invited to paragraph 2 of Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 61-ITC(PN)/71 dated 19th June 1971 according to which all I.D.A. licences (other than those which have been converted into I.D.A. credit from other sources in terms of Public Notice No 14-ITC(PN)/71 dated 3rd February 1971) issued on or after 1st July 1970 were automatically made valid for shipment/payments for a period of twelve months from the date of issue of the licence or upto 31st December. 1971. whichever is earlier.

2. It has now been decided that all I.D.A. credit licences (other than those converted into I.D.A. credit from other sources in terms of Public Notices No. 14-ITC(PN)/71 dated 3rd February 1971 and No. 91-ITC(PN)/71 dated 26th July 1971) issued on or after 1st July, 1971 may be deemed to have been automatically valid for shipment/payments for a period of twelve months from the date of issue of the licence or upto 30th June 1972 whichever is earlier. It will not be necessary to present the licence to the

licensing authorities or endorsement for the purpose. No grace period will be allowed in respect of such licences for making shipment/payments. There will, however, be no change in the procedure or placing orders under the I.D.A. Credit within our months from the date of issue of the import licence.

3. It has also been decided that requests for revalidation of all I.D.A. licences issued prior to 1st July 1971 (other than those converted in terms of Public Notices No. 14-ITC(PN)/71 dated 3rd February 1971 and 91-ITC(PN)/71 dated 26th July 1971) will also be considered by the licensing authorities concerned, where orders have been placed for the full value, and extension allowed upto 30th June 1972 or the delivery date whichever as earlier subject to the condition that the payments must be completed within 45 days from the date of the expiry of the licence or upto 30th June 1972 whichever is earlier.

4. Public Notice No. 97-ITC(PN)/70 dated 8th July 1970 may be deemed to have been amended accordingly.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1971

विषय.—आई० डी० ए० ऋणों के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों की वैधता अवधि ।

संख्या 164-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.— आयातकों का ध्यान विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 91—आई० टी० सी० (पी एन)/71 दिनांक 19—9—1971 की कंडिका 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार 1—7—1970 को या इसके बाद जारी किए गए सभी आई० डी० ए० लाइसेंसों (उन लाइसेंसों को छोड़कर जो सार्वजनिक सूचना संख्या 14—आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 3—2—71 की शर्तों के अनुसार अन्य उद्गमों से आई० डी० ए० ऋण में परिवर्तित किए गए हैं) को पोतलदान/भुगतान के लिए उनको जारी की गई तारीख से या 31—12—1971 तक इन में जो भी पहले हो 12 माह की अवधि के लिए स्वतः वैध किया गया था ।

2. यह निश्चय किया गया है कि 1 जुलाई 1971 को या इसके बाद जारी किए गए सभी आई० डी० ए० क्रेडिट लाइसेंसों (उन लाइसेंसों को छोड़ कर जो सार्वजनिक सूचना संख्या : 14—आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 3—2—71 और 91—आई० टी० सी० (पी० एन)/71 दिनांक 26—7—71 की शर्तों के अनुसार अन्य उद्गमो से आई० डी० ए० ऋण में परिवर्तित किए गए हैं) को पोतलदान / भुगतान के लिए उनको जारी की गई तारीख से या 30—6—72 तक—इनमें जो भी पहले हो 12 माह की अवधि के लिए स्वतः वैध किया गया समझा जाए। यह आवश्यक नहीं होगा कि इस प्रयोजन के लिए लाइसेंस को लाइसेंस अधिकारियों के पास पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत किया जाए। पोतलदान/भुगतान के लिए इस प्रकार के लाइसेंसों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनुकम्पा अवधि नहीं दी जाएगी। लेकिन आयात लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से चार माह के भीतर आई० डी० ए० ऋण के अन्तर्गत आदेश दिए जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा ।

3. यह भी निर्णय किया गया है कि 1-7-71 से पूर्व जारी किए गए सभी आई० डी० ए० लाइसेंसों के पुनर्बंधीकरण के लिए किए गए आवेदनों पर भी विचार सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा उन मामलों पर किया जाएगा जहां पर पूरे मूल्य के लिए आदेश दे दिए गए हैं और 30-6-72 तक या माल लदाई की तारीख तक इन में जो भी पहले हो वृद्धि की स्वीकृति दे दी गई है और वह इस शर्त के अधीन कि भुगतान लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से या 30-6-72 तक इन में जो भी पहले हो 45 दिनों के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिए।

4. सार्वजनिक सूचना संख्या 97—आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 8-7-1970 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971